

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या : 7वि.शा./मु.याँ.-02-06/2019 ज.सं. 188

/राँची, दिनांक :- 19/01/21

(शुद्धि पत्र)

विभागीय आवंटनादेश संख्या:-7वि.शा./मु.याँ.-02-06/2019 ज.सं.-184, दिनांक-12.01.2021 द्वारा निर्गत आवंटनादेश के कंडिका-2 पर अंकित तालिका के क्रमांक-3 एवं 4 के स्तम्भ-9 में टंकण भूलवश कुल आवंटित राशि क्रमशः रु. 621.30 लाख एवं रु. 1518.20 लाख अंकित हो गया है, जिसे शुद्ध रूप में क्रमशः रु. 580.64 लाख एवं 1498.97 लाख पढ़ा जाए।

- उक्त आवंटनादेश की अन्य शर्तें एवं कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।
- उक्त आवंटनादेश को इस हद् तक संशोधित समझा जाए।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 188

राँची, दिनांक :- 19/01/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 188

राँची, दिनांक :- 19/01/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)  
सचिव